विविध बैंक प्रकरण सं0 04/2019(RCMS : 2019/00013) भारतीय स्टेट बैंक शाखा–बीकानेर रोड, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार लढा मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–04, हनुमानगढ (राज.) बनाम मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज –प्रो. श्री अमित कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रतन लाल चौधरी निवासी प्लॉट नं. जी–1/102, रीको, इंडस्ट्रियल एरिया, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) एवं वार्ड नं. 15, पुराना बाजार, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिकृत कार्यकर्त्ता द्वारा प्रार्थना की है कि अप्रार्थी मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज–प्रो. अमित कुमार चौधरी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी श्री अमित कुमार चौधरी ऋणी द्वारा बंधक रखी गई व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1/102, रीको, इंडस्ट्रियल एरिया, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। चूंकि **अब इस प्रकरण में अप्रार्थी ऋणी द्वारा अपनी व्यावसायिक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द कर दिया है इसलिए प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति
नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 04.01.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बीकानेर रोड, सूरतगढ श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज –प्रो. श्री अमित कुमार चौधरी के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1/102, रीको, इंडस्ट्रियल एरिया, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा अपनी उक्त व्यावसायिक सम्पत्ति का कब्जा बैंक को सुपुर्द कर दिया है इसलिए इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बीकानेर रोड, सूरतगढ श्रीगंगानगर **इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है** इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 04.01.2019 को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर